महत्वपूर्ण एवं खास

जीजा-साला अवैध गांजा बिक्री के मामले में गिरफ्तार

दुर्ग (आरएनएस)। मादक पदार्थ गांजा के अवैध बिक्री मामले में मोहन नगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी दीपक बघेल 19 वर्ष पिता बाली बघेल और राहुलदास मानिकपुरी 30 वर्ष पिता विनोददास मानिकपुरी बाम्बे आवास उरला के निवासी है। आरोपी दीपक के कब्जे से 1.80 किग्रा. गांजा जब्त किया गया है। जिसकी कुल कीमत 10 हजार 8 सौ रुपए बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दीपक बघेल 22 मई की दोपहर करीब 2.30 बजे धमधा नाका ओव्हरब्रिज के नीचे मालधक्का हनुमान मंदिर के पास, शुलभ शौचालय के पास गांजा की बिक्री करते पकड़ा गया था। पुछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि यह गांजा उसे जीजा राहुलदास मानिकपुरी ने उपलब्ध कराया है। जिसके आधार पर राहुलदास मानिकपुरी को भी गिरफ्तार किया गया है।

महिला से दो किलो गांजा बरामद

बिलासपुर (आरएनएस)। रतनपुर पुलिस ने गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से दो किलो गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर पुलिस को सूचना मिली कि अकलतरा में रहने वाली महिला गांजा बेचने के लिए रतनपुर क्षेत्र में ग्राहक तलाश रही है। इस पर पुलिस की टीम ने अकलतरी रोड में गौठान के पास घेराबंदी की। पुलिस ने स्कूटी सवार मानकी केंवट उर्फ विनीता जोशी(25) निवासी जयरामनगर को पकड़ लिया। पूछताछ में वह गोलमोल जवाब दे रही थी। स्कूटी की तलाश में दो किलो गांजा मिला। पुलिस इसे जब्त कर महिला को थाने ले आई। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

आरटीई के अंतर्गत ड्राप आउट विद्यार्थियों की जानकारी देने के निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी जिला कलेक्टरों से आरटीई अंतर्गत ड्राप आउट विद्यार्थियों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि जिले के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक, प्राचार्यों की बैठक 10 दिवस के भीतर बुलाकर यह समीक्षा करें कि इनके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने आरटीई के तहत प्रवेश लिया था तथा उनमें से कितने बच्चे पढ़ाई छोडक़र ड्राप आउट हो गए हैं। यह जानकारी पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए। कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि विगत 5 वर्षों में ड्राप आउट हुए बच्चों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करें तथा ड्राप आउट रोकने की दिशा में समुचित पहल करने का कष्ट करें, जिससे जिले में आरटीई की मंशा के अनुरूप सभी बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें।

नाबालिग का अपहरण कर दैहिक शोषण

सूरजपुर-रायपुर (आरएनएस)। जिले में एक नाबालिग का अपहरण कर दैहिक शोषण करने का मामला सामने आया है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, रामानुजनगर ब्लाक के पतरापाली निवासी ऋषि पटेल ने 17 वर्षीय नाबालिक को भगा कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था. बेटी के लापता होने पर पीड़िता के परिजनों ने रामानुजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया और पतासाजी में जुट गई. इस दौरान पुलिस ने नाबालिग को आरोपी ऋषि पटेल के घर से बरामद किया और लडक़ी को सखी सेंटर भेज दिया. मामले में लडक़ी के बयान पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद में मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा

- स्ट्रांग रुम की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, मतगणना कक्षों का किया निरीक्षण
- निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद का दौरा कर आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने तीनों जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग-रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना हेतु तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का अवलोकन किया। कंगाले ने निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रश्मि वर्मा और दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर सहित तीनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना

बाबासाहेब कंगाले ने तीनों जिलों में विधानसभावार मतगणना कक्षों, उम्मीदवारों एवं उनके गणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग, मतगणना के दिन वीडियोग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेडिंग, डाक मतपत्रों तथा वीवीपैट पर्ची की गिनती की व्यवस्था, मीडिया सेंटर तथा उद्घोषणा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकते हैं। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को छोटे-छोटे समूहों में मतगणना कार्य का अवलोकन कराने निर्देशित किया। कंगाले ने मतगणना स्थल और मतगणना कक्षों की ड्राइंग-डिजाइन का अवलोकन कर निर्वाचन अभिकर्ताओं की सुविधा के लिए इसे मतगणना स्थल में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए जिससे अभिकर्ता अपने निर्धारित मतगणना कक्ष तक सुगमता से पहुंच सके। उन्होंने मतगणना स्थल में विधानसभावार मतगणना कक्ष तक पहुंचने के लिए बनाए गए मार्गों का भी अवलोकन किया।

श्रीमती कंगाले ने तीनों जिले में मतगणना स्थलों पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स (एआरओ) से चर्चा कर मतगणना के लिए टेबलों की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वोटों की गिनती के लिए कंट्रोल यूनिट को स्ट्रांग-रूम से मतगणना कक्ष तक लाने और वापस ले जाने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने स्ट्रांग-रूम के बाहर मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर स्ट्रांग-रूम की सुरक्षा व मॉनिटरिंग व्यवस्था तथा मतगणना स्थल पर इंतजामों के संबंध में फीडबैक भी लिया। इन पर दलों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बताते हुए संतुष्टि जताई। उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए प्रदेश में तीन चरणों में डाले गए वोटों की गिनती आगामी 4 जून को सभी संबंधित जिला मुख्यालयों में होगी।

बरातियों से भरी पिकअप के पलटने से एक की मौत, छह घायल

कोरबा । आरएनएस

शराब के नशे में धुत चालक पिकअप में 40 ग्रामीणों को बैठाकर चैथिया बारात ले जा रहा था, इस दौरान वाहन अनियंत्रित हो पलट गई। इस घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं घायल हो गए छह लोगों में चार को जिला मेडिकल कालेज अस्पताल में दाखिल किया गया है।

कबीर धाम में मालवाहक वाहन के पलटने 18 लोगों की मौत को लेकर राज्य में शोक का माहौल है। इस बीच जिले में इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। ग्राम सतरेंगा निवासी कोदो राम अपने परिवार के साथ चैथिया बारात (ससुराल विदा हुई बेटी को वापस लाने) झाबर जा रहा था। यात्री वाहन बुक करने की जगह मालवाहक पिकअप बुक कराया गया था। यही नहीं एक पिकअप के डाला में 40 ग्रामीणो को ठूंस कर चालक ने भर दिया। वाहन में सवार ग्रामीणों ने बताया कि चालक नशे की अवस्था में था और शुरू से ही गाड़ी लापरवाही पूर्वक लहराकर चला रहा था। गांव से करीब डेढ़ किमी आगे जाकर मोड़ के पास सकरे पुल में पलटा दिया। वाहन तीन फीट नीचे गड्ढे में गिर गया। वाहन के नीचे दबने से 65 वर्षीय कोदो राम की घटना स्थल पर ही मौत गई। लोगों की चीख पुका सुनकर राहगीर मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलने पर पहुंची 112 व संजीवनी की टीम ने सभी घायलों को जिला मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचाया । जहां घायल चार ग्रामीण सुखमति 60 वर्ष, आरती रोहिदास 17 वर्ष व अमिताब बच्चन 27 वर्ष को अधिक चोटें लगने की वजह से अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। वहीं दो अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में सवार एक ग्रामीण ने बताया कि चालक नशे में इस कदर धुत था कि घटना के बाद वह उठकर भाग भी नहीं सका। उसे वाहन धीरे चलाने कहा जा रहा था फिर भी वह होश में नहीं होने की वजह से किसी की बात नहीं सुन रहा था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका वाहन में सवार लोगों को थी। पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की वजह से मौतकारित दुर्घटना का अपराध चालक के खिलाफ दर्ज किया है। वाहन मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किए जाने की बात पुलिस ने कही है।

सिम्स मेडिकल कॉलेज पर लगा 3 लाख का जुर्माना

बिलासपुर । आरएनएस

नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। सिम्स में फैकल्टी और जरूरी संसाधनों की कमी पर ये जुर्माना किया है। साथ ही 2 माह के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर एनएमसी ने एमबीबीएस की सीटें कम करने की भी चेतावनी दी है।

दरअसल, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) सभी मेडिकल कालेजों पर ऑनलाइन नजर रखती है। कॉलेजों को समय-समय पर कमियां दूर करने को लेकर दिशा-निर्देश भी देती है। विगत कुछ दिनों पहले एमएमसी ने वर्चुअल बैठक ली थी। जिसमें सिम्स सहित प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्रोफेसर जुड़े थे। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की गिनती की गई तो काफी कमियां मिली। यहां पर्याप्त मात्रा में न तो डॉक्टर हैं, न ही प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके चलते एमबीबीएस की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। सिम्स मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों के साथ ही 20 फीसदी फैकल्टी, 43 फीसद जूनियर और सीनियर रेसीडेंट की कमी है।

इसके अलावा यहां जरूरी जांच की मशीनों की कमी भी मिली। मेडिकल कालेज के लैब में रीएजेंट की कमी को भी एनएमसी ने कमी माना। कुछ डॉक्टर अवकाश पर हैं, जिन्हें अनुपस्थित माना गया। सिम्स में हड्डी रोग विभाग में सी-आर्म मशीन भी नहीं है। ऐसे में यहां भारी तादात में मरीज रेफर हो रहे हैं। संसाधन और फैकल्टी की कमी के चलते एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।

प्राचीन शिव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की मंदिर के लिए किया गया भूमिपूजन का आयोजन

रामानुजगंज । आरएनएस

रामानुजगंज नगर के वार्ड क्रमांक 7 में कन्हर नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की मंदिर स्थापना के लिए भूमि पूजन विप्र समाज के धनंजय पाठक, अनूप तिवारी,अरविंद दुबे, सुदर्शन दुबे, रमाशंकर दुबे सहित समाज के अन्य वरिष्ठ लोगों के द्वारा किया गया। भूमि पूजन विप्र समाज के द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया।

विप्र समाज के द्वारा नगर में भगवान परशुराम की मंदिर बनाने की पहल कई वर्षो से की जारी थी। विप्र समाज के लोगों के सक्रियता से भगवान परशुराम के मंदिर बनाने के लिए आज भूमि पूजन शिव मंदिर परिसर में नगर के विद्वान पुजारी लक्ष्मीकांत पांडे के द्वारा कराया गया वहीं अन्य पुजारी विनय पांडे,दामोदर मिश्र, विनायक मिश्रा, श्याम कुशल पांडे के द्वारा संपूर्ण भूमि पूजन के अनुष्ठान को पूर्ण कराया गया। समाज के वरिष्ठ धनंजय पाठक ने कहा हम लोगों के लिए आज बहुत खुशी की बात है कि नगर में भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण किया जाएगा इसके लिए आज भूमि पूजन हुआ। इस दौरान सुदर्शन दुबे,रविन्द्र तिवारी, दयावंत चोबे,कृष्णा तिवारी, ऋषि द्विवेदी, आनंद चौबे,विकास तिवारी, शैलेश दुबे, संतोष पांडे,दीपक दुबे, विकास दुबे, मनोज तिवारी, यशपाल दुबे, प्रभाकर द्विवेदी, बिट्टू चौबे आकाश तिवारी, उज्जवल तिवारी, लोकेश पांडे, जितेंद्र पांडे, जय चौबे, विष्णु पांडे सहित विप्र समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

तीन लाख की चपत, दो सूदखोर किए गए गिरफ्तार

कोरबा । आरएनएस

पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष प्रार्थी कमलेश्वर राठिया ने शिकायत प्रस्तुत की कि कूसमुंडा थाना क्षेत्र में अवैध रुप से साहूकारी करने वालों एवं ऋणियों को आत्महत्या करने पर विवश करने वालों की घटना घटी है। जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए सुदखोर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी कूसमुंडा को निर्देशित किया।

थ्ज्ञाना प्रभारी कुसमुण्डा के द्वारा प्रार्थी कमलेश्वर राठिया पिता ललित कुमार राठिया उम्र 33 वर्ष सा.मकान नंबर एम/202 विकासनगर कुसमुण्डा का अपने पत्नि के साथ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन देने पर दिनांक 21.05.2024 को ही उक्त अपराध धारा सदर के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर आरोपियान1. मोहम्मद इरफान कुरैशी उर्फ मोनू पिता खलील अहमद कुरैशी उम्र 40 वर्ष निवासी एसईसीएल अस्पताल के सामने मुड़ापार कोरबा मोहम्मद ताजुद्दीन पिता नूर मोहम्मद उम्र 51 वर्ष निवासी एसईसीएल मकान नंबर एमध्283 विकासनगर कुसमुण्डाकी पतासाजी हेतु टीम गठित कर कुसमुण्डा कोरबा बिलासपुर रवाना किया गया जो मामले में विधिवत् अग्रिम विवेचना करते आरोपियान पतासाजी करते मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान कुरैशी उर्फ मोनू को उनके वर्तमान निवास वैशालीनगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर में पतासाजी कर मुताबिक मुखबीर सूचना के रेल्वे स्टेशन बिलासपुर के पास मिलने पर अभिरक्षा में लेकर एवं दूसरा आरोपी मोहम्मद ताजुद्दीन को उनके निवास विकासनगर कुसमुण्डा में पतासाजी कर मिलने पर अभिरक्षा में लेकर वापस थाना आये आरोपियानों से बारिकी से पूछताछ कर जांच पड़ताल किये।

मामलें में उक्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर आज दिनांक 22.05.2024 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रुपक शर्मा, उ.नि. डी.आर. ठाकुर, प्र.आर. 144 रंजन देवांगन, आर. 486 धीरज पटेल, आरक्षक 852 लेखराम धीरहे की मुख्य भूमिका रही।

ग्रामीणों के लिए तेंदूपत्ता सोना से कम नही, संग्राहक परिवारों में होगी वृद्धि

कोरबा । आरएनएस

औद्योगिक जिले के वनांचल में रहने वाले ग्रामीण तेंदूपत्ता को हरा सोना मानते हैं। गर्मी के दिनों में जब उनके पास न तो खेतों में आय का माध्यम होता है और न ही घर में कुछ काम। इस बीच तेंदूपत्ता का संग्रहण उन्हें मेहनत एवं संग्रहण के आधार पर पारिश्रमिक देता है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के लिये तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा की दर में हुई वृद्धि ने खुशियां जगा दी है।

प्रकृति ने कोरबा जिले को कई प्रकार के उपहार दिए हैं. प्रकृति ने कोरबा जिले को कई प्रकार के उपहार दिए हैं. इनमें जैव विविधता के साथ-साथ वन संपदा भी शामिल है. जंगलों से प्राप्त होने वाले सामान उन इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है.

वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदूपत्ता, सोना से कम नहीं है.तपती धूप में मेहनत कर हरे सोने का संग्रहण करते हैं. इसके एवज में मिलने वाले पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं. इस बार हरे सोने से संग्राहक ग्रामीण मालामाल होंगे. दरअसल शासन ने इसकी कीमत बढ़ा दी है. बीते वर्ष तेंदूपत्ते की खरीदी प्रति मानक बोरा 4 हजार के दर से की गई. इस वर्ष संग्राहकों को प्रति सैकड़ा 550 रुपए मिलेंगे. यह राशि सीधे बैंक खाते में जमा किए जाएंगे.देश में कोरबा की पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में की जाती है. यहां संचालित एसईसीएल की भूमिगत और खुली खदानों में हजारों टन कोयले का उत्पादन किया जाता है. विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली बिजली से कई राज्य रोशन होते हैं. इस मामले में कोरबा का जंगल भी कम नहीं है. जिले का करीब 60 फीसदी हिस्सा वनों से आच्छादित है. जिसे कोरबा व कटघोरा वनमंडल में विभाजित किया गया है. दोनों ही वनमंडल में वन्यजीवों और औषधीय गुण वाले पेड़-पौधों की भरमार है.ग्रामीणों द्वारा महुआ चार चिरौंजी सहित कई प्रकार के वनोपज का संग्रहण किया जाता हैवनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा महुआ चार चिरौंजी सहित कई प्रकार के वनोपज का संग्रहण किया जाता है, जिसकी मांग राज्य के अलावा विभिन्न प्रांतों में भी होती है. उनके लिए आय का प्रमुख स्त्रोत तेंदूपत्ता संग्रहण है.

ग्रामीण महज कुछ ही दिनों के भीतर अच्छी-खासी आमदनी कमा लेते हैं. इस राशि का उपयोग वे न सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए करते हैं, बल्कि शादी ब्याह, मकान बनाने जैसे खर्चीले काम पर भी किया।

सुने मकान में चोरी करने वाले आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

धमतरी । आरएनएस

शहर के बठेनापारा में एक सूने मकान मे चोरी करने वाले आरोपियों को थाना कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया तथा आरोपियों से चोरी का सामान बरामद कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनाँक 19 मई को बठेनापारा निवासी प्रवीण चंद इसार पिता सुरेश चंद इसार अपने परिवार सहित घर में ताला लगाकर नगरी चले गये थे। 22 मई को सुबह 6 बजे प्रवीण के पड़ोसी मनोज उराव ने फोन करके बताया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है तब प्रवीण अपने परिवार के साथ वापस घर आया तो देखा कि उसके घर के मेन दरवाजे का ताला टुटा हुआ था, घर अंदर का सामान बिखरा पड़ा था आलमारी का ताला टूटा हुआ था घर आलमारी में रखे सामान एक जोडी सोने का टॉपस, एक नग सोने की अंगुठी,सोने का चैन एक नग, चाँदी का पायल दो जोडी, चाँदी का पायजेब एक जोड़ी तथा चाँदी का कर्धन दो नग कीमती लगभग 90,000 रुपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। जिसके बाद प्रवीण ने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करवाई। रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457, 380 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लिया गया। घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया तथा मौके पर टूटा हुआ ताला जप्त किया गया एवं आस पास के सीसीटीवी एवं लोगों से पूछताछ कर,मुखबिर सूचना एवं तकनिकी साक्ष्य के आधार पर संदेहियों तक पहुंचने पर संदेहियों सुरेश तिवारी, दीपक उर्फ बबलू साहू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ किया गया एवं जिस पर चोरी करना स्वीकार किये एवं मेमोरण्डम कथन में बताया की दोनों ने मिलकर चोरी करने की नियत से बठेना पारा धमतरी में सुने मकान के गेट के ताला को रॉड से तोडक़र मकान अंदर घुसकर कमरे में रखे आलमारी में रखे सोने चाँदी के जेवरात को चोरी कर नहर पार में झाड़ी के पास पत्थर के नीचे छुपाकर रखना बताने पर आरोपीगण के मेमो0 कथन के आधार पर चोरी किये सोने चाँदी के जेवरातों को एवं ताला तोडने में प्रयुक्त लोहे के रॉड को जब्त किया गया। प्रकरण में एक से अधिक आरोपी होने से धारा 34 भादवि.जोड़ी गयी। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

मामले में पुलिस ने सुरेश तिवारी पिता अजय तिवारी उम्र 33 वर्ष सा0 टिकरापारा धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी तथा दीपक उर्फ बबलू साहू पिता संतू साहू उम्र 19 वर्ष सा0 स्टेशन पारा (डबरा पारा) धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी(छ.ग.) को गिरफ्तार किया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU